M.C.8/2002
RBE NO. 111/2002

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated 22.07.2002

No.E(MPP)2001/6/7

The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units.

Sub:- Apprentices Act, 1961--Training in Railway Establishments

Various instructions relating to Apprentices Act 1961 and training of Apprentices have been issued since the issue of Master Circular on Apprentices Act 1961, circulated vide Board's letter No.E(MPP)90/6/5 dated 31.10.90. It has now been decided that these instructions may be compiled at one place and a revised Master Circular may be made available for the benefit of all.

1. General

The Apprentices Act, 1961 was enacted by the Government on 12.12.61, to regulate and control the training of apprentices in certain designated trades, with the object of getting adequate manpower trained in Industrial Skills for the developing industries in the country. The provisions of the Act were implemented on the Railways in August 1963. The obligation under the Act on the part of Railways is to provide training only and not to absorb the trained apprentices.

(Ref. Board's letter No.E(Trg.)61TR8/42 dated 29.8.63.

2. Extent of application of the Act.

2.1 The provisions of the Act apply on the Railways to the workshops of the Civil, Mechanical and S&T Engineering Departments, Production Units, Diesel and Electric Loco Sheds, Carriage and Wagon Depot and Electrification Projects.

2.2 No engagement should be undertaken in the units where large number of surplus already exist e.g. Printing Presses, Mechanical workshops and Signal Workshops, etc.

2.3 Wherever the number of apprentices to be engaged is too small and training facilities are insufficient, efforts may be made to suitably adjust the seats allocated in other major establishments.

(Ref. Board's letters No.E(Trg.)75(33)/15 dated 16.10.75 and E(Trg.)80(33)/6 dated 17.9.1981, E(MPP)97/6/7 dated 2.4.98.

3. Number to be engaged for training

3.1 Ministry of Labour have been repeatedly bringing to the notice of the Board that the number of apprentices being trained in Railway Establishments is significantly lower than the seats allocated by the Regional Directors of Apprenticeship Training. It was brought to the notice of the Ministry of Labour that Railways are undergoing changes in technology, resulting in significantly reduced activities in certain trades even though significant number of artisans in these trades may still be on roll. It was also brought to the notice of Ministry of Labour that the existing training facilities on the Railways also have the responsibility of re-training the surplus staff and this causes limitation to Railways' capability of training stipulated number of Apprentices under the Apprenticeship Act. It was decided to have joint surveys conducted by the respective Regional Directors of Apprenticeship Training with the incharges of Railway Establishments.

(E(MPP)90/6/7 dated 29.11.95)

3.2 Following are the salient features to be borne in mind regarding joint surveys:-

3.2.1 Railway should ensure that only those designated trades are included in the survey, which have a potential for future recruitment/absorption. (This is important in the light of Hon'ble Supreme Court's judgement in the case of UP State Road Transport Corporation Vs. UP Berozgar Samiti.)

3.2.2 The survey should be based on the skilled strength only and should not include unskilled workers/supervisors.

3.2.3 In the Division, unit of activity for engagement of apprentices should be Diesel Sheds, Electrical Loco Sheds, C&W Depots, etc. where there is a large concentration of staff i.e.500 and more.

3.2.4 The total number of surplus staff available in a particular unit may also be kept in mind while fixing the quota. (Training of surplus staff through conversion courses may restrict the Unit's training capacity of Act Apprentices.)

3.2.5 Joint Survey Reports and figures relating to quota fixing should be jointly signed by functionary not lower than Dy.CME or equivalent on the Railways and Dy.Director or equivalent from the side of the RDATs.

(Board's letters No.E(MPP)90/6/7 dt. 29.11.95 &
No.E(MPP)97/6/7 dt. 2.4.98
No.E(MPP)90/6/7/Pt. dt.15.5.97)

3.3 Pursuant to the last Joint Survey held between Ministry of Labour and Railway officials, following number of Trade Apprentices are to be engaged :

| Railway | Seat Allotted |
|---|---|
| CR | 375 |
| ER | 894 |
| NR | 458 |
| NER | 158 |
| NFR | 59 |
| SR | 518 |
| SCR | 244 |
| SER | 505 |
| WR | 393 |
| CLW | 615 |
| DCW | 83 |
| ICF | 320 |
| RCF | 160 |
| WAP | 25 |
| Total | 4907 |

(E(MPP)97/6/7 dated 14.5.96)

3.4 In addition to 4907 Trade Apprentices, 956 training seats for providing practical training facilities to Engineer Graduate and Diploma Holders for 2001-2002 to 2003-2004 have been decided by the Ministry of Railways.

(Board's letter No.E(MPP)2000/6/2 dt. 18.5.2001)

3.5 In reference to Para 3.1 above, the Ministry of Railways have decided that, no fresh joint surveys should be undertaken in railways till instructions are issued by Board. Apprentices are to be engaged as per the quota fixed above and the same number is to be maintained at any given point of time.

(Board's letter No.E(MPP)97/6/7/Vol.II dt. 15.2.2000)

4. Types of Act Apprentices engaged on the Railways

There are three categories of apprentices.

(i) Trade apprentices—either fresh candidates or ITI qualified candidates;
(ii) Technician apprentices (Diploma Holders); and
(iii) Graduate Engineer apprentices.

5. Engagement of Act Apprentices will be from the following sources:

i) Nearest Employment Exchanges;
ii) SC/ST organizations;
iii) ITIs wherever existing; and
iv) Wards of Railway employees.
(Railway Board's letter No.E(Trg.)75(33)/15 dated 23.7.75 No.E(MPP)86/6/6/Pt.dated 30.10.1989)

6. Schedules of engagement

Engagement of Act Apprentices should be done twice in a year. i.e. February/March and September/October to enable them to appear in All India Trade Test to be held in April/October respectively.
(Ref: Board's letter No.E(MPP)90/6/7/Pt. dt.15.5.97)

7. Reservations while engaging Act Apprentices

Reservation of training places in every designated trade in favour of SC/STs should be made as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 62. However, Ministry of Labour has decided that reservation is not applicable as far as OBCs are concerned.
(Board's letter No.E(MPP)95/6/3 dated 14.6.95)

8. Age for engagement of Act Apprentices for training on Railways

(i) ITI candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 22 years of age.
(ii) Non ITI candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 20 years of age.
(iii) The upper age limit is relaxable by 5 years in the cases of SCs/STs.
(Ref: Board's letter No.E(Trg.)82(33)/7 dated 12.7.82)

9. Physical Fitness

Selected candidates will have to conform to the standards of physical fitness, as prescribed for appointment to the relevant trades on the Railways.

10.Basic Training and Related Instructions

10.1 The training consists of basic training followed by shop floor or practical training including a course of related instructions appropriate to the trade, throughout the period of training. Annexure-I to this letter contains the information relating to the designated trades under the Apprentices Act, 1961 available on the Railways for training and the period of training, in addition to the minimum educational qualification prescribed for recruitment.

The Basic Training Centre should be developed as per NCVT norms. If the BTC has not been set-up as per the norms, Establishments can engage ITI pass out candidates only. In this case if non-ITI persons are to be engaged as apprentices, the prior permission of the concerned Regional Director is required to be taken.

Related instructions is part of the Apprenticeship Training Course and it is to be imparted to the trade apprentices by the Establishment as per the syllabus of the trade. In case the Establishment is not able to organise Related Instructions classes for its apprentices the concerned RDAT will make arrangement for it.

(Refer Board's letter No.E(MPP)90/97/PL dt. 15.5.97)

10.2 In the case of Graduate Engineers and diploma holders the period of training is one year.
(Ref: Para 5(4) of Apprenticeship Rules, 62 as amended from time to time)

10.3 For ITI passed candidates, the duration of training will be regulated according to the duration of training already undergone in the designated trades in the ITI.

10.4 The rebate allowed in period of training as given at Annexure-I.

10.5 The training should be provided as per the syllabus/syllabi prescribed by the Director General of Employment and Training.

11. Hours of Work

Weekly hours of work of trainee apprentices are as follows:

(i) Total number of hours per week should be 42 to 48 hours per week (including the time spent on imparting related instructions);

(ii) Trade apprentices undergoing basic training will work for 42 hours per week including time spent on imparting related instructions;

(iii) During the second year of apprenticeship, the trade apprentices will work for 42 to 45 hours per week including the time spent on imparting related instructions;

(iv) During the third and subsequent years the trade apprentices will work for the same number of hours per week as the workers in the trade in the establishment in which they are undergoing training;

(v) Graduate Engineers and Technician Apprentices will work according to the normal hours of work of the department to which they are attached for training.

Note: No trade apprentice should be engaged on training between 10.00 P.M. to 6 A.M. except with the prior approval of the Apprenticeship Adviser who will give approval after satisfying himself that it is necessary in Public interest to do so.

(Reference Rule 8 of Apprenticeship Rules, 62 and
Rule 12 of Apprenticeship Rules, 1991)
(EITRG)61/TR1/42 dated 29.08.63)

12 Leave and holidays

Trade apprentices will be eligible for leave in accordance with the rules applicable to the workers in the establishment to which they are attached for training. Leave may be granted by the employer subject to the following:-

12.1 An apprentice on training in an establishment which works for five days a week (with a total of 45 hours per week) should put in a minimum attendance of 200 days in a year out of which 33 days should be devoted to imparting related instructions and 167 days devoted to practical training;

12.2 An apprentice on training in an establishment who works for 5 ½ days or 6 days a week should put in a minimum attendance of 240 days in a year out of which 40 days should be devoted to related instructions and 200 days devoted to practical training;

12.3 If an apprentice who for any reason is not able to undergo training for the period specified in clauses above shall be given opportunity to make up for the shortfall in the following year and shall be eligible to take the test conducted by the National Council.

12.3.1 The apprentice should have completed the training with a minimum attendance of 600 days or 800 days, respectively depending on the period of training being 3 years or 4 years, if attached to an establishment working for 5 days a week;

12.3.2 An apprentice should have completed the training with the minimum attendance of 720 days or 960 days, respectively depending upon the period of training being 3 years or 4 years, if attached to establishment working for 5 ½ days or 6 days a week.

Holidays will be admissible to the apprentice as observed in the establishment(s) in which they are undergoing training.

An apprentice not undergoing training for the periods specified above may be given opportunity to make up the shortfall in the following year.

(Reference Rule 13 of the Apprenticeship Rules, 1991)

13. Conduct and Discipline

13.1 While being engaged as apprentice trainee, the apprentices will be governed by the Railway Servants Conduct Rules and Railway services (D&A) Rules in force.

13.2 With reference to payment of stipend to the Act Apprentices during the period of suspension the same may be dealt with in accordance to para 11(7) and 11(8) of Apprenticeship Rules, 1991 as reproduced below:-

11(7): Where the work and conduct of the apprentice is not satisfactory, the employer shall report the matter to the Apprenticeship Adviser and with his consent, may stop the continuance of payment of stipend to the apprentices.

Provided that the stipend of an apprentice shall not be stopped without intimating him the ground thereof and giving him an opportunity of representing against the action proposed.

11(8): On report being made by the employer under sub-rule(7), the Apprenticeship Adviser shall give his decision thereon within thirty days of the receipt of the report and where the Apprenticeship Adviser does not communicate to the employer refusal or consent to the stopping of the payment of stipend within the period of thirty days, it shall be deemed that he has consented to the stopping of the stipend.

(Board's letter No.E(MPP)91/6/11 dated 16.2.96)

14 Agreement

The entire training programme under the Apprentice Act, 61 is governed by the provisions of the Apprenticeship Contract between the employer and the apprentice. The Apprenticeship Contract or agreement should be signed by the railway and the apprentice and the railway should ensure that this is sent to the Apprenticeship Adviser for registration within three months of the date on which it was signed.
(Board's letter No.E(MPP)95/6/13 dated 21.8.95)

15 Test and grant of Certificate

Every trade apprentice on completion of the training will, on passing a test conducted by the National Council of Vocational Training to determine his proficiency in the designated trade, be granted a certificate of proficiency by the National Council.

16 Extension of Apprenticeship

Where an apprentice is unable to complete the full period of apprenticeship training or to take the final test owing to reasons beyond his control or having completed the training fails in the final test, the Railway administration may extend the period of training until the next test. For the extended period of training, stipend will be payable at the rate which was being paid before grant of such extension.
(Rule 7(2)(b)(i) of the Apprenticeship Rule 1991)

17 Stipend

17.1 The stipend payable to the Trade Apprentices w.e.f. 9.4.2001 is as under:-

| | |
|---|---|
| 1st year of Training | Rs.820/- per month |
| 2nd year of Training | Rs.940/- per month |
| 3rd year of Training | Rs.1090/- per month |
| 4th year of Training | Rs.1230/- per month |

(Board's letter No.E(MPP)2000/6/5 dated 12.6.2001)

17.2 The stipend payable to the Engg. Graduate/Diploma holders w.e.f. 18th May, 2001 is as under:

| | |
|---|---|
| (a) Diploma Holders | Rs.1400/- per month |
| (b) Sandwich Course for student from Diploma Institution | Rs.1140/- per month |
| (c) Graduate Engg. | Rs.1900/- per month |
| (d) Sandwich Course for students from Degree Institutions | Rs.1400/- per month |

(Board's letter No.E(MPP)/2000/6/5 dated 11.7.2001)

17.3 The payment of stipend to the Act Apprentices should be made only after the Apprenticeship Contract is signed by both the Apprentice and the Railway Administration and the same is sent for registration and acknowledgement taken from RDAT. This aspect must be ensured by the associate finance also before releasing the stipend. However, care should be taken that Apprentices should not be denied payment of stipend due to the fault of Railways. This will be viewed seriously by Board.

(Board's letter No.E(MPP)2001/6/8 dated 28.9.2001)

17.4 Stipend paid to the Graduate Engineers and Technician apprentices (Diploma Holders) as also to the sandwich course trainees will be equally shared by the training authority (Employer) and the Ministry of Human Resources Development.

(Ref: Board's letter No.E(Trg.)75/33/13 dated 3.8.75 and No.E(MPP)93/6/2 dated 26.7.96)

17.5 No deduction should be made from the stipend for the period during which an apprentice remains on casual leave or medical leave. Stipend is, however, not payable for the period for which an apprentice remains on extra ordinary leave. The continuance of payment of stipend will be subject to the work and conduct being satisfactory. Where the work and conduct are not satisfactory, the employer should report the matter to the Apprenticeship Adviser, who will advise regarding the continuance or otherwise of the payment.

(Ref: Rule 11(4), 11(b) & 11(7) Apprenticeship Rules,91)

## 18. Termination of Contract

Whereas the contract of apprenticeship is terminated through failure on the part of any employer in carrying out the terms and conditions thereof, such employer shall be liable to pay the apprentice compensation an amount equivalent to his three months last drawn stipend; and when the said termination is due to failure on the part of an apprentice in the above manner then, a training cost of an amount equivalent to his three months last drawn stipend shall be made recoverable from such apprentice or from his guardian in case he is minor.

(Ref: Rule 8 of Apprenticeship Rule, 1991 )

## 19. Absorption of Course Completed Act Apprentices

19.1 In terms of para 10 of Schedule V of the Apprenticeship Rules 1991 notified on 15.7.92 by the Ministry of Labour, it shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer.

19.2 In pursuant to the Hon'ble Supreme Court judgement dated 12.1.95 in the case of UP State Road Transport Corporation and others Vs. U.P. Parivahan Nigam Shikchuk Berozgar Sangh & others, the following instructions have been issued:

19.2.1 For recruitment to the posts of:-

- Skilled Artisans.
- Group 'C' posts for which Engineering Degree and Engineering Diploma are the qualification.
- Diesel Electric Assistants.
- Group 'D' posts

other things being equal between two candidates the candidate who is course completed Act Apprentice trained in Railway Establishment will be given preference over the candidate who is not such an apprentice. However, there would be no change in the procedure of the recruitment and the selection for recruitment will be in accordance with the merits of the eligible candidates.

(Board's letter No.E(NG)II/98/RR-1/34 dated 26.8.98, 13.7.99 and 6.4.2000 & E(NG)II/99/RR-1/11 dated 24.8.2000)

19.2.2 For recruitment to the posts of Skilled Artisans, the upper age limit for the course completed Act Apprentices will be 35 years if he had commenced his apprenticeship under the Apprenticeship Act before attaining the age of 25 years.

(Board's letter No.E(NG)II/87/RC-2/25 dated 24.6.88)

19.2.3 For recruitment to the posts of Diesel Electric Assistants and in Group 'D' categories the upper age limit will be relaxed for course completed Act Apprentices, to the extent of the period of apprenticeship.

(Board's letter No.E(NG)II/87/RC-2/25 dated 30.3.1990 and No.E(NG)II/99/RR-1/11 dated 24.8.2000)

19.2.4 The concerned training centres should maintain a list of course completed Act Apprentices trained yearwise. The persons trained earlier would be treated as senior to persons trained later.

(Board's letter No.E(MPP)96/6/14 dated 3/12/96)

## 20. Other Provisions

20.1 Apprentices are entitled to free medical treatment for personal injury caused by accident arising out and in the course of training.
(Ref: Board's letter No.E(Trg.)II/67/TR-1/15 dated 8.2.68)

20.2 No caution money is required to be deposited by the apprentices
(Ref: Board's letter No.E(Trg.)72/33/18 dated 3.7.73)

20.3 For purposes of providing training, no new facilities are to be set up. The existing facilities have to be fully utilized.

20.4 Where the Railway provides theoretical related instructions to the trade apprentices as a part of training, a sum of Rs.30/- per month per apprentice w.e.f. 23.12.93 will be reimbursed by the Ministry of Labour, Government of India towards the cost of imparting such instructions.
(Ref: Board's letter No.E(MPP)96/6/3 dated 20.3.96)

20.5 Every apprentice undergoing training in a designated trade in an establishment is a trainee and not a worker. The provisions of any law with respect to labour will not apply to them except where an apprentice is undergoing training in an establishment which is governed by the provisions of the Factories Act, 1948, the relevant provisions of the said Act in relation to the Apprentice's health, safety and welfare will apply, as if he is a worker within the meaning of the Act.
(Ref: Paras 3814 and 3818 of the Indian Railway Estt. Manual)

20.6 Every employer should maintain a register of attendance for the apprentices undergoing apprenticeship training in his establishment. Action, if any, taken for irregular and unauthorised absence should be recorded in the said register at the end of each month.
(Ref: Rule 14(8) of Apprentice Rules, 1991)

20.7 Additionally, record(s) in respect of progress of training of each apprentice receiving training should be maintained and returns submitted to the concerned authorities quarterly.
(Ref: Rule 14(10) of Apprentice Rules, 1991)

20.8 Efforts should be made to get more personnel for training from backward areas subject to the ceiling indicated in Board's letter No.E(Trg.)84(33)/6 dated 5.5.84.

20.9 No graduate engineer or Diploma Holder who had received training or job experience for one year or more after taking the Degree/Diploma will be eligible for training under the Apprentice Act, 1961.

(Ref. Rule 2 of Apprenticeship Rules, 1991)

20.10 The directives issued by the Apprenticeship Adviser or on his behalf in the conformity with the Apprentices Act, 1961 and or the rules made there under, should be complied with, save in exceptional circumstances which should be reported to the Board immediately for being taken up with the Ministry of Labour.

21. While referring to this circular, the original letters and other references mentioned herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution to the original circulars. In case of doubt, the original circulars should be relied upon as authority.

22. The instructions contained in the original circulars referred to above have only prospective effect from the date of issue of the respective instruction unless specifically indicated otherwise. For dealing with old cases, the instruction in force at the relevant time should be referred to; and

23. If there is a circular on the subject which has not been superseded, but has been inadvertently omitted to find a mention in this consolidated circular, the said circular, should be treated as valid and operative. Information in this regard should be sent to Board.

24 Railway Board's letters on the basis of which the consolidated circular has been prepared are listed below:-

(i) No.E(Trg.)61TR1/42 dated 29.6.63
(ii) No.E(Trg.)75(33)/15 dated 16.10.75
(iii) No.E(Trg.)80(33)/6 dated 12.9.81
(iv) No.E(Trg.)73(33)/15 dated 23.7.75
(v) No.E(Trg.)82(33)/7 dated 12.7.82
(vi) No.E(Trg.)I-67/TR-1/15 dated 8.2.68
(vii) No.E(Trg.)72(33)/18 dated 3.7.73
(viii) No.E(Trg.)84(33)/9 dated 5.5.84
(ix) No.E(Trg.)75(33)/13 dated 3.8.75
(x) No.E(NG)II/87/RC-2/25 dated 24.6.88
(xi) No.E(MPP)95/6/8 dated 14.6.95
(xii) No.E(MPP)93/6/2 dated 26.7.95
(xiii) No.E(MPP)95/6/13 dated 21.8.95
(xiv) No.E(MPP)90/6/7 dated 29.11.95
(xv) No.E(MPP)91/6/11 dated 16.2.96

(xvi) No.E(MPP)96/6/3 dated 20.3.96
(xvii) No.E(NG)II/96/RR-1/13 dated 29.3.96
(xviii) No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 26.8.96
(xix) No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 16.9.96
(xx) No.E(MPP)96/6/14 dated 3.12.96
(xxi) No.E(MPP)90/6/7/Pt dated 15.5.97
(xxii) No.E(MPP)97/6/7 dated 2.4.98
(xxiii) No.E(MPP)97/6/7 dated 18.5.98
(xxiv) No.E(NG)II/98/SB/20 dated 19.8.99
(xxv) No.E(MPP)97/6/7//Vol.II dated 15.2.2000
(xxvi) No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 6.4.2000
(xxvii) No.E(MPP)2001/6/2 dated 16.5.2001
(xxviii) No.E(MPP)2000/6/5 dated 12.6.2001
(xxix) No.E(MPP)2000/6/5 dated 11.7.2001

Please acknowledge receipt of this letter.

(R. Mukundan)
Executive Director(Training & MPP)
Railway Board

No.E(MPP)2001/6/7 New Delhi, dated .07.2002.

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi, for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi, for information with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (90 spares.)

For Secretary, Railway Board.

Copy to: PPS/AM(Staff), Adv.(IR), EDE(N), ED(Trg.&MPP), JDE(L), DDE(LR)I, E(NG)I, E(NG)II & E(Trg.)

Annexure - 1.

## LIST OF DESIGNATED TRADES UNDER THE APPRENTICES ACT 1961

| S.NO | Designated Trades | Period of Training | Rebate allowed in Apprentice -ship Training to ITI candidates | Minimum Essential/ Desirable Qualification |
|---|---|---|---|---|
| **Group No.1** | **Machine Shop Trades Group** | | | |
| 1 | Filler | 3 yrs | 2 yr | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| 2 | Turner | 3 yrs | 2 yrs | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| 3 | Machinist | 3 yrs | 2 yrs | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| 4 | Machinist(Grinder) | 3 yrs | 2 yrs | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| **Group No.2** | **Foundry Trades Group** | | | |
| 5 | Pattern Maker | 3yrs. | 2yrs. | Passed 8th Class Exam. Under 10+2 system of Education or its equivalent |
| 6 | Foundryman | 3yrs. | 1year | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| **Group No.3** | **Metal Working Trades Group** | | | |
| 7 | Sheet Metal Worker | 3yrs. | 1year | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| 8 | Welder (Gas Electric) | 2yrs. | 1year | Passed 10th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent |
| **Group No.4** | **Electrical Trades Group** | | | |
| 9 | Electrician | 3yrs. | 2yrs. | Passed 10th class Examination under 10+2 system with Science as one of the subject or its equivalent |
| 10 | Lineman | 3yrs. | 1year | Passed 8th Class Exam. Under 10+2 system of Education or its equivalent |

## LIST OF DESIGNATED TRADES UNDER THE APPRENTICES ACT 1961

| S.NO | Designated Trades | Period of Training | Rebate allowed in Apprentice -ship Training to ITI candidates | Minimum Essential/ Desirable Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Wireman | 3yrs. | 2yrs. | 8th Class pass from a recognized school or its equivalent |
| **Group No.5** | **Building And Furniture Trades Group** | | | |
| 12 | Carpenter | 3yrs. | 1year | Passed 10th Class examination under the 10+2 system of education with Science (Physics and Chemistry) as one of the subject or its equivalent |
| 13 | Plumber | 3yrs. | 1year | Passed 8th class examination under 10+2 system of education or its equivalent. |
| 14 | Mason(Building Constructor) | 2year | 1year | Passed 8th class examination under 10+2 system of education or its equivalent. |
| **Group No.6** | **Maintenance Trades Group:** | | | |
| 15 | Mechanic Machine Tool Maintenance | 3 yrs. | 2yrs. | Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Maths as Subject or its equivalent. |
| **Group No.7** | **Precision Machining Trades Group:** | | | |
| 16 | Tool and Die-Maker (Die and Moulds) | 4yrs. | 3yrs. | Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Maths as Subject or its equivalent. |
| **Group No.8** | **Instrument Trades Group** | | | |
| 17 | Instrument Mechanic | 3yrs. | 2yrs. | Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science as of the Subject or its equivalent. |
| **Group No.9** | **Refrigeration and Air-Conditioning Trades Group** | | | |
| 18 | Refrigeration and air-conditioning Mechanic | 3yrs. | 2yrs. | Passed 10th class examination with Science (Physics and Chemistry) and Mathematics under the 10+2 |

## LIST OF DESIGNATED TRADES UNDER THE APPRENTICES ACT 1961

| S.NO | Designated Trades | Period of Training | Rebate allowed in Apprentice-ship Training to ITI candidates | Minimum Essential/ Desirable Qualification |
|---|---|---|---|---|
| | | | | system. |
| **Group No.10** | **Heat Engines Trades Group** | | | |
| 19 | Mechanic (Motor Vehicle) | 3yrs. | 2yrs. | Passed 10th class examination or its equivalent |
| 20 | Mechanic (Diesel) | 3yrs. | 1year | Passed 10th class examination or its equivalent. |
| **Group No.11** | **Draughtsman and Survey Trades Group** | | | |
| 21 | Draughtsman(Civil) | 3years | 2yrs. | Passed in 10th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects |
| 22 | Draughtsman (Mechanic) | 3yrs. | 2yrs. | Passed in 10th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects. |
| 23 | Surveyor | 3yrs | 2yrs. | Passed in 10th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects. |
| **Group No.12** | **Construction Trade Group** | | | |
| 24 | Fitter Structural | 3yrs | 1year | Passed in 10th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects |
| **Group No.13** | **Power Plant Trade Group** | | | |
| 25 | Boiler Attendant | 3yrs. | 6 months | Passed in 10th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects |
| **Group No.14** | **Binding Group** | | | |
| 26 | Book Binder | 2yrs. | 1year | Passed 8th class examination or under 10+2 system of education or its equivalent. |

एम.सी 8/2002
आरबीई सं. 119/2002

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एम पी पी)2001/6/7

नई दिल्ली, दिनांक 22-07-02.

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयाँ सहित.

विषय :- शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुओं का प्रशिक्षण.

बोर्ड के दिनांक 31.10.90 के पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/5 के तहत परिपत्रित शिक्षु अधिनियम, 1961 से संबंधित मास्टर परिपत्र के जारी होने के बाद से शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं. अब यह निर्णय किया है कि इस विषय पर अभी तक जारी किए गए अनुदेशों को समेकित करके एक संशोधित मास्टर परिपत्र सभी के लाभार्थ जारी किया जाए.

1. सामान्य

देश के विकासमान उद्योगों के लिए औद्योगिक शक्ति तैयार करने के उद्देश्य से कतिपय अधिसूचित व्यवसायों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 12.12.61 को शिक्षु अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया था. अधिनियम के प्रावधान अगस्त, 1963 में रेलों पर लागू किए गए थे. अधिनियम के अंतर्गत रेलों का दायित्व केवल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है न कि प्रशिक्षित शिक्षुओं को समाहित करना. (संदर्भ बोर्ड का 29.8.63 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)61 टी आर 1/42)

2. अधिनियम की प्रयोज्यता सीमा

2.1 रेलों पर सिविल, यांत्रिक और सिग. एवं दूर. विभागों के कारखानों, उत्पादन इकाइयों, डीजल और बिजली रेल इंजनों के शेडों, सवारी और माल डिब्बा डिपो, विद्युतीकरण परियोजनाओं तथा मुद्रणालयों पर अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होती है.

[illegible]

2.2 उन इकाइयों में किसी भी कर्मचारियों को काम पर नहीं लगाया जाएगा जहां बड़ी संख्या में पहले ही फालतू कर्मचारी हैं जैसे मुद्रणालय, यांत्रिक, इलेक्ट्रीकल और सिगनल इलेक्ट्रीकल आदि.

2.3 जहां काम पर लगाए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत कम हो और प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त हों वहां अन्य प्रमुख स्थापनाओं में आवंटित सीटों को उपयुक्त रूप से समायोजित करने के प्रयास किये जायें.

(संदर्भ : बोर्ड का 16.10.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 75 (33) / 15 तथा 17.9.1981 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 80/(33)/6, 2.4.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7)

## 3. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

3.1 श्रम मंत्रालय, बोर्ड के नोटिस में बार-बार यह बात लाया है कि रेल स्थापनाओं में प्रशिक्षित किए जा रहे प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा आवंटित सीटों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है. श्रम मंत्रालय के नोटिस में यह लाया गया था कि रेलें प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ला रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ट्रेडों, गतिविधियों में पर्याप्त रूप से कमी हुई है. यहां तक कि इन ट्रेडों के कारीगर बड़ी संख्या में अभी भी रजिस्टर में दर्ज हैं. श्रम मंत्रालय के नोटिस में यह भी लाया गया था कि रेलों पर प्रशिक्षण संबंधी मौजूदा सुविधाओं का उत्तरदायित्व, फालतू कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देना भी है और इसके कारण प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित रेलों की क्षमता भी सीमित होती है. यह निर्णय किया गया था कि प्रशिक्षु प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशक, रेल स्थापनाओं के प्रभारियों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करेंगे.

(29.11.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7)

3.2 संयुक्त सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए.

3.2.1 रेलें यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं अभिहित ट्रेडों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाए जिनमें भावी भर्ती/समाहन की संभावना हो.

(यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश बेरोजगार समिति के मामले में दिए गये निर्णय को देखते हुए महत्वपूर्ण है.)

3.2.2 सर्वेक्षण केवल कुशल कर्मचारियों पर ही आधारित होना चाहिए और इसमें अकुशल कामगारों/पर्यवेक्षकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

3.2.3 मंडल में, प्रशिक्षुओं को लगाने की गतिविधि वाली इकाइयां डीजल शेड, बिजली लोकोमो शेड, सवारी एवं माल डिब्बा डिपू आदि होंगे जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक अर्थात 500 या इससे अधिक होगी.

3.2.4 कोटे का निर्धारण करते समय किसी विशिष्ट इकाई में उपलब्ध कुशल कर्मचारियों की कुल संख्या को भी ध्यान में रखा जाए (परिवर्तित पाठ्यक्रमों के तहत कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से अनिवार्यतः प्रशिक्षुओं से संबंधित इकाई/प्रशिक्षण क्षमता पर भी प्रतिबंध लगता है).

3.2.5 संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्टों और कोटा निर्धारण से संबंधित आंकड़ों पर रेलों के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अथवा इसके समकक्ष तथा आर डी ए टी की ओर से उप निदेशक अथवा समकक्ष और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप हस्ताक्षर किये जायें.

(बोर्ड के 29.11.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7 और का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7)

3.3 श्रम मंत्रालय और रेल अधिकारियों के बीच किए गये पिछले सर्वेक्षण के अनुसरण में ट्रेड प्रशिक्षुओं की निम्नलिखित संख्या में काम पर रखा जाना है:

| रेलवे | आवश्यकता सीटें |
|---|---|
| मध्य रेलवे | 375 |
| पूर्व रेलवे | 894 |
| उत्तर रेलवे | 458 |
| पूर्वोत्तर रेलवे | 158 |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | 59 |
| दक्षिण रेलवे | 518 |
| दक्षिण मध्य रेलवे | 244 |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | 505 |

| | |
|---|---|
| पश्चिम रेलवे | 393 |
| चितरंजन रेल इंजन कारखाना | 615 |
| डीजल कलपुर्जा कारखाना | 63 |
| रुडकी डिब्बा कारखाना | 320 |
| रेल व्हील फैक्टरी | 160 |
| पटियाला एवं मुख संगठन | 25 |
| जोड़ | 4907 |

3.4 4907 ट्रेड प्रशिक्षुओं के अलावा वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के लिए इंजीनियर स्नातकों तथा डिप्लोमा धारकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा 956 प्रशिक्षण सीटों के संबंध में विनिश्चय किया गया है.

(दिनांक 14.5.98 का (एम पी पी)90/6/7)

3.5 उपर्युक्तानुसार के संदर्भ में रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि जब तक बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी न किये जाएं तब तक रेलों पर कहीं नया संयुक्त सर्वेक्षण न किया जाए. प्रशिक्षुओं के उपर्युक्त निर्धारित की गयी संख्या के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए और दिए गए किसी भी समय तक इस संख्या को बनाए रखा जाए.

(बोर्ड का 15.2.2000 का पत्र सं. ई (एम डी पी)97/6/7/वाल्यू III)

## 4. रेलों पर भर्ती किए जाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षुओं की कोटियां

शिक्षुओं की तीन कोटियां हैं :-

(i) ट्रेड शिक्षु-नए उम्मीदवार अथवा आई टी आई अर्हता प्राप्त उम्मीदवार
(ii) तकनीकी शिक्षु (डिप्लोमाधारी) एवं
(iii) स्नातक इंजीनियर शिक्षु.

## 5. भर्ती निम्नलिखित स्रोतों की जाएगी :

i) नियोजन रोजगार कार्यालय

ii) अ.जा./अ.ज.जा. सहित,
iii) आई टी आई, जहां कहीं लागू हों, और
iv) रेल कर्मचारियों के आश्रित.

(रेलवे बोर्ड का 23.7.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 75 (33)/15) दिनांक 30.10.1989 का पत्र सं. ई (एम पी पी)86/6/6)

शिक्षु अधिनियम, 62 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए प्रशिक्षण स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुबंध-I में दर्शायी गई है.

6. अनुबंध की समयानुसूची :

अधिनियम शिक्षुओं की वर्ष में दो बार आनुवर्तित किया जाए अर्थात फरवरी/मार्च और सितम्बर/अक्टूबर तारिख से क्रमशः अप्रैल/अक्टूबर में होने वाली अगली सीधा ट्रेड परीक्षा में भाग ले सके.

(संदर्भ : बोर्ड के दिनांक 15.5.97 के पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7/नाटे)

7. अधिनियम शिक्षुओं की भर्ती संबंधी आरक्षण

शिक्षु अधिनियम, 62 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए प्रशिक्षण स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. बहरहाल, श्रम मंत्रालय ने निर्णय किया है कि जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग का संबंध है, उनके लिए आरक्षण लागू नहीं होगा.

8. रेलों पर अधिनियम शिक्षुओं की भर्ती के लिए आयु

(i) आई टी आई उम्मीदवारों ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वे 22 वर्ष से कम आयु के हों.

(ii) गैर आई टी आई उम्मीदवारों ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 20 वर्ष से कम आयु के हों

(iii) अ.ज./अ.ज.जा. के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है.

(संदर्भ : बोर्ड का 12.7.82 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)82 (33)/7)

9. शारीरिक योग्यता

चयन किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक योग्यता के स्तरों के अनुरूप होना होगा जैसा कि रेलों पर संबंधित व्यवसायों में नियुक्ति के लिए विहित है.

10. मूल प्रशिक्षण तथा संबद्ध अनुदेश

10.1 प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान प्रशिक्षण में आधारभूत प्रशिक्षण, जिसके बाद कारखाने में आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा व्यवसाय के अनुरूप संबद्ध अनुदेशों का एक पाठ्यक्रम पास करना शामिल है. भर्ती के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अलावा शिक्षु अधिनियम, 61 के अंतर्गत रेलों पर उपलब्ध अधिसूचित व्यवसायों, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण की अवधि से संबंधित सूचना इस पत्र के अनुबंध-I में अंतर्विष्ट है.

प्रशिक्षण केंद्रों का विकास एन सी टी टी के मानदंडों के अनुसार किया जाए. यदि मूल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना मानदंडों के अनुसार नहीं की गयी है तो स्थापनाएं केवल आई टी आई पास उम्मीदवारों को ही अनुबंधित करें. इस मामले में यदि गैर आई टी आई व्यक्तियों को प्रशिक्षुओं के रूप में अनुबंधित किया जाता है तो इसके पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित होगा.

संबद्ध अनुदेश प्रशिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक भाग है और स्थापनाओं द्वारा उस ट्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार ट्रेड प्रशिक्षुओं को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाए. यदि स्थापनाएं

अपने प्रशिक्षुओं के लिए संबंधित अनुदेश की व्यवस्थाएं आयोजित करने में समर्थ न हों तो इसके लिए संबंधित आर डी ए टी प्रबंध करेंगे.

(बोर्ड का दिनांक 15.5.97 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7/भाटी)

10.2 स्नातक इंजीनियरों एवं डिप्लोमाधारियों के मामले में, प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है.

(संदर्भ : समय समय पर यथा संशोधित शिक्षु अधिनियम, 62 का पैरा 5 (4))

10.3 आई टी आई उम्मीदवारों के लिए, आई टी आई में अभिहित व्यवसाय में पहले प्राप्त प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार, प्रशिक्षण की अवधि विनियमित की जाएगी.

10.4 प्रशिक्षण अवधि में छूट की अनुमति अनुबंध -1 में दिए गए अनुसार है

10.5 प्रशिक्षण, प्रशिक्षु महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाए.

11. **कार्य के घंटे**

प्रशिक्षु के साप्ताहिक कार्य घंटे निम्नानुसार हैं :-

(i) प्रति सप्ताह कार्य के घंटों की कुल संख्या 42 से 48 घंटे होगी (व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसाय शिक्षु संबंधित अनुदेशों पर व्यय हुए समय सहित)

(ii) आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसाय शिक्षु संबंधित अनुदेशों पर व्यय हुए समय सहित प्रति सप्ताह 42 घंटे कार्य करेंगे.

(iii) शिक्षुता के दूसरे वर्ष के दौरान, व्यवसाय शिक्षु संबंधित अनुदेशों पर व्यय हुए समय सहित प्रति सप्ताह 42 से 45 घंटे कार्य करेंगे.

(iv) तीसरे और उसके बाद के वर्षों के दौरान व्यवसाय शिक्षु, जिस स्थापना पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उसी व्यवसाय के कामगारों के समान प्रति सप्ताह उतने ही घंटे कार्य करेंगे.

(v) स्नातक इंजीनियर और तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए जिस विभाग से संबद्ध है, उसके कार्य के सामान्य घंटों के अनुसार कार्य करेंगे.

टिप्पणी : शिक्षुता सलाहकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यवसाय शिक्षु को 10 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच प्रशिक्षण पर नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि यह स्वयं संतुष्ट होने के बाद स्वीकृति न दे कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है.

1990

(संदर्भ:-शिक्षु अधिनियम का नियम 12)
(ई (ट्रेनिंग)/61-टी आर -1/42 का नियम 12 दिनांक 29.8.63)

## 12. छुट्टियां और अवकाश

व्यवसाय शिक्षु प्रशिक्षण के लिए जिस स्थापना से संबद्ध है, उसके संबंधों के लिए स्थायी नियमों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे. निम्नलिखित शर्तों पर नियोक्ता द्वारा छुट्टी प्रदान की जा सकती है :-

12.1 ऐसी स्थापना में, जो सप्ताह में पांच दिन कार्य करती हो, प्रशिक्षण पर रहने वाले शिक्षु को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन तक उपस्थित होना चाहिए, जिसमें से 33 दिन संबंधित अनुदेशों एवं 167 दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाये गये है.

12.2 ऐसी स्थापना में, जो सप्ताह में साढ़े पांच दिन या छह दिन कार्य करती है, प्रशिक्षण पर रहने वाले शिक्षु को एक वर्ष में कम से कम 240 दिन उपस्थित होना चाहिए जिसमें से 40 दिन संबंधित अनुदेशों एवं 200 दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाए गए हैं.

12.3 यदि कोई शिक्षु किसी कारणवश उपर्युक्त शर्तों में निर्धारित अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त न कर सका हो तो उसे बाद के वर्षों में इस कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए और वह राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा.

12.3.1ऐसी स्थापना जो सप्ताह में पांच दिन कार्य करती हो, 3 या 4 वर्ष की प्रशिक्षणअवधि के अनुसार शिक्षु ने कम से कम 600 दिन या 800 दिन का प्रशिक्षण पूरा किया हो.

12.3.2ऐसी स्थापना जो सप्ताह में साढ़े पांच दिन या छह दिन कार्य करती हो, 3 या 4 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के अनुसार शिक्षु ने कम से कम 720 दिन या 960 दिन का प्रशिक्षण पूरा किया हो.

उस स्थापना में होने वाले अवकाश, जिसमें वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, शिक्षुओं को मिलेंगे.

उपर्युक्त निर्धारित अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले प्रशिक्षु को बाद के वर्षों में इस कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए.

(संदर्भ : शिक्षु अधिनियम, 1991 का नियम 13)

## 13. आचरण और अनुशासन

13.1 शिक्षु, रेल कर्मचारी आचरण नियमों तथा रेल सेवा (अनुशासन एवं अपील) के नियम, जो लागू हों, द्वारा शासित होंगे.

13.2 निलम्बन की अवधि के दौरान अधिनियम प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में प्रशिक्षण नियम 1991, पैरा 11 (7) और 11 (8) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है -

11(7) जहां प्रशिक्षु का कार्य और उसका आचरण संतोषजनक न हो वहां नियोक्ता उस मामले की रिपोर्ट प्रशिक्षु सलाहकार को करे और उसकी सहमति से वह प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति का भुगतान जारी रखने पर रोक लगा सकता है.

बशर्ते कि प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति का भुगतान रोकने के कारणों की सूचना दिए बिना और उसे प्रस्तावित कार्रवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिये बिना छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं रोका जाएगा.

11 (8) उपनियम (7) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर प्रशिक्षु सलाहकार रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा और यदि प्रशिक्षु सलाहकार 30 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान रोकने के संबंध में अपनी असहमति या सहमति संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह छात्रवृत्ति का भुगतान रोके जाने पर सहमत है.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 16.2.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)91/6/11)

## 14. समझौता

शिक्षु अधिनियम 61 के अंतर्गत समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोक्ता और शिक्षु के बीच शिक्षुता अनुबंध की व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है. शिक्षुता अनुबंध अथवा समझौता पर प्रशिक्षु और रेलवे द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे हस्ताक्षर होने की तारीख से तीन महीने के अंदर पंजीकरण के लिए शिक्षुता सलाहकार के पास भेजा गया है.

## 15. परीक्षा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना

प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक व्यवसाय शिक्षु को, अभिहित व्यवसाय में उसकी प्रवीणता की जांच करने के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, राष्ट्रीय परिषद द्वारा एक प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

## 16. शिक्षुता की अवधि बढ़ाना

जब कोई शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को पूरा न कर सके अथवा किन्हीं ऐसे कारणों से, जो उसके नियंत्रण में न हों, अंतिम परीक्षा न दे सके अथवा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी अंतिम परीक्षा में असफल हो जाए तब वेल प्रशासन अगली परीक्षा तक प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा सकता है. जो दूसरी बार परीक्षा में असफल होते हैं, उनके लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई जाए. प्रशिक्षण की बढ़ी हुई अवधि के लिए, अवधि बढ़ाए जाने के पूर्व जो वजीफा उसे दिया जा रहा था, उसी दर पर वजीफा का भुगतान किया जाए.

(प्रशिक्षु नियम, 1991 का नियम 7 (2) (ख) (1))

## 17. वजीफा

17.1 9.4.2001 से शिक्षुओं को भुगतान कि जाने वाली वजीफा की राशि निम्न प्रकार से होगी :-

| | |
|---|---|
| प्रशिक्षण का पहला वर्ष | 820 रु. प्रतिमाह |
| प्रशिक्षण का दूसरा वर्ष | 940 रु. प्रतिमाह |
| प्रशिक्षण का तीसरा वर्ष | 1090 रु. प्रतिमाह |
| प्रशिक्षण का चौथा वर्ष | 1230 रु. प्रतिमाह |

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 12.6.2001 का पत्र सं. ई (एम पी बी) 2000/6/5)

17.2 इंजीनियरी स्नातक/डिप्लोमाधारियों को 18 मई 2001 से वजीफा का निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | डिप्लोमाधारी | 1400 रु. प्रतिमाह |
| (ख) | डिप्लोमा संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए सैंडविच पाठ्यक्रम | 1140 रु. प्रतिमाह |
| (ग) | स्नातक इंजीनियर | 1980 रु. प्रतिमाह |
| (घ) | डिग्री संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए सैंडविच पाठ्यक्रम | 1400 रु. प्रतिमाह |

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 11.7.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/2000/6/5)

17.3 अधिनियम प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का भुगतान, प्रशिक्षु और रेल प्रशासन के बीच प्रशिक्षु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात किया जाएगा और इसे एजेंसीकरण के लिए आर डी ए टी के पास भेजा जाए और इसकी पावती ली जाए, छात्रवृत्ति का भुगतान करने से पूर्व इस पहलू को सहायक वित्त द्वारा भी सुनिश्चित किया जाए, बहरहाल इस बात का ध्यान रखा जाए कि रेलों को गलती के कारण प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति का भुगतान करने से इनकार न किया जाए. इसे बोर्ड द्वारा सम्पर्कता से लिया जाएगा.

(पावला सं. बोर्ड का 28.9.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2001/6/8)

17.4 स्नातक इंजीनियरों और तकनीकी प्रशिक्षुओं (डिप्लोमा धारकों ) तथा सैंडविच पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को भुगतान किये गये वजीफे की लागत प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (निगोकता) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बराबर-बराबर बांटी जाएगी.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 3.8.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)75/33/13 और दिनांक 26.7.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)93/6/2)

17.5 शिक्षुओं के आकस्मिक अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर रहने की अवधि के लिए वजीफा से कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए. तथापि शिक्षु के असाधारण अवकाश पर रहने पर वजीफा देय नहीं है. वजीफे का भुगतान इस शर्त पर जारी रहेगा कि शिक्षु का कार्य और आचरण संतोषजनक है. यदि कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं हो तो निगोकता

ऐसे मामले में रिपोर्ट, शिक्षुता सलाहकार को करनी चाहिए जो भुगतान के जारी रखने या न रखने के संबंध में सलाह देगा.

(संदर्भ : शिक्षु नियम,1991 का नियम 11 (4), 11(6) और 11(7))

## 18. अनुबंध की समाप्ति

जहां कहीं प्रशिक्षु अनुबंध के नियंत्रण और शर्तों का पालन करने में विफल रहने के कारण नियोक्ता की ओर से अनुबंध समाप्त किया जाता है वहां नियोक्ता प्रशिक्षु को,अतिपूर्ति के रूप में उस राशि के बराबर की राशि का भुगतान करेगा जो प्रशिक्षु ने अंतिम तीन महीनों के दौरान वजीफे के रूप में प्राप्त की है और जब यह अनुबंध उपर्युक्त रूप में प्रशिक्षु के विफल रहने के कारण उसकी ओर से समाप्त किया जाए तो प्रशिक्षु से अथवा प्रशिक्षु के नाबालिग होने के मामले में उसके संरक्षक से, इस राशि के बराबर की प्रतिपूरण राशि वसूल की जाएगी जो उसने अंतिम तीन महीनों में वजीफे के रूप में प्राप्त की है.

(संदर्भ : प्रशिक्षु नियम, 1991 का नियम 8)

## 19. शिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं का समावेशन

19.1 श्रम मंत्रालय द्वारा 15.7.92 को अधिसूचित प्रशिक्षु नियम 1991 की अनुसूची V के पैरा 10 के अनुसार नियोक्ता इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर वह उसे अपनी स्थापना में रोजगार दे और न ही प्रशिक्षु इस बात के लिए बाध्य होगे कि वह नियोक्ता के अधीन किसी रोजगार को स्वीकार करें.

19.2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यू पी राज्य सड़क परिवहन निगम तथा अन्य बनाम यू. पी परिवहन निगम शिक्षुक बेरोजगार संघ तथा अन्य के मामले में 12.1.95 को दिए गए निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गये हैं :-

19.2.1 निम्नलिखित ट्रेडों के लिए भर्ती

- कुशल कारीगर
- ग्रुप "सी" के वे पद जिनके लिए इंजीनियरी डिग्री तथा इंजीनियरी डिप्लोमा योग्यताएं है.
- टेक्नीकल असिस्टेंट सहायक
- ग्रुप " सी " पद

- दो उम्मीदवारों के बीच अन्य बातें समान रहने पर रेल स्थापना में अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सबसे पूरा करने वाले उम्मीदवार को उस उम्मीदवार पर वरीयता दी जाएगी जिसने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है. लेकिन, भर्ती की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा और भर्ती के लिए सक्षम पात्र उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार किया जाएगा.

(बोर्ड का दिनांक 26.8.96, 13.7.99 और 6.4.2000 का पत्र सं. ई (एन जी) II/99/आर आर-1/34 तथा दिनांक 24.8.2000 का पत्र सं. ई (एन जी) II/99/आर आर-1/11)

19.2.2 कुशल कारीगरों के पदों पर भर्ती के लिए अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया हो.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 24.6.88 का पत्र सं. ई (एन जी)II/87/आर सी-2/25)

19.2.3 क्लैरिकल विभागी सहायकों के पदों तथा ग्रुप "सी" की कोटियों में भर्ती के लिए अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में उतनी अवधि की छूट दी जाएगी जितनी अवधि का उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 30.3.1990 का पत्र सं. ई (एन जी)II/87/आर सी-2/25 और दिनांक 24.8.2000 का पत्र सं. ई (एन जी)II/99/आरआर-1/11)

19.2.4 संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र, अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की वर्ष- वार सूची रखेंगे. पहले प्रशिक्षित व्यक्तियों को बाद में प्रशिक्षित व्यक्तियों से वरिष्ठ के रूप में माना जाएगा.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 3.12.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/96/6/14)

## 20. अन्य व्यवस्थाएं

20.1 शिक्षु प्रशिक्षण के दौरान किसी दुर्घटना के कारण लगी व्यक्तिगत चोट के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 8.2.68 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 1/67/3 भाग-I/15)

20.2 शिक्षुओं द्वारा कोई अवधान द्रव्य जमा किया जाना अपेक्षित नहीं है.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 3.7.73 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)72/33/18)

20.3 प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किसी नयी सुविधा की व्यवस्था नहीं की जानी है. मौजूदा सुविधाओं का पूरी तरह उपयोग किया जाना है.

20.4 जहां व्यवसाय शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में, रेलवे सिद्धांतों से संबंधित अनुदेशों की व्यवस्था करती है, वहां ऐसी अनुदेश दिए जाने की लागत के रूप में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23.12.93 से 30 रु. प्रतिमाह प्रति शिक्षु के हिसाब से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 20.3.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)96/6/3)

20.5 किसी स्थापना में किसी अभिहित व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु है न कि एक कामगार. सिर्फ फैक्टरिज अधिनियम 1948 की व्यवस्थाओं द्वारा नियोजित किसी स्थापना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षु को छोड़कर, श्रम से संबंधित किसी कानून की व्यवस्थाएं उन पर लागू नहीं होंगी, या शिक्षु के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में उक्त अधिनियम संबंधी व्यवस्थाएं उस पर उसी प्रकार लागू होंगी जैसे कि अधिनियम के अर्थ में वह एक कामगार हो.

(संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली के पैरा 3814 और 3818)

20.6 प्रत्येक नियोक्ता को अपनी स्थापना में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं के लिए एक उपस्थिति पंजिका रखनी होगी. अनियमित एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए यदि कोई कार्रवाई की गई हो तो प्रत्येक माह के अंत में उक्त पंजिका में उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए.

(संदर्भ : शिक्षु नियम, 1991 का नियम 14 (8))

20.7 इसके अलावा, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक शिक्षु के प्रशिक्षण की प्रगति के संबंध में रिकॉर्ड रखा जाए तथा वार्षिक संबंधित प्राधिकारियों को विवरणियां प्रस्तुत की जाए.

(संदर्भ शिक्षु नियम, 1962 का नियम 14 (10))

20.8 बोर्ड के दिनांक 5.5.84 के पत्र सं. 4 (ट्रेनिंग)84(33)/8 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अध्यधीन रिक्त्ते क्षेत्रों से प्रशिक्षण के लिए अधिक कर्मियों को लाने के प्रबंध किए जाने चाहिए.

20.9 कोई स्नातक इंजीनियर या डिप्लोमाधारी, जिसने डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या एक वर्ष या अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त किया हो, शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होगा.

(संदर्भ : शिक्षुता नियम, 1991 का नियम 2)

20.10 शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुरूप अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षुता सलाहकार या सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, केवल कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर जिनके संबंध में, श्रम मंत्रालय को लिखे जाने के लिए बोर्ड को तत्काल सूचना भेजनी चाहिए.

21. इस परिपत्र का हवाला देते समय, संपूर्ण सामग्री/विषय के लिए इसमें उल्लिखित मूल परिपत्रों तथा अन्य संदर्भों को पढ़ा जाना चाहिए. यह परिपत्र मौजूदा अनुदेशों का केवल एक संकलन है एवं इसे मूल परिपत्रों का प्रतिस्थापन नहीं समझा जाना चाहिए. संदेह के मामले में, प्राधिकार के रूप में मूल परिपत्रों को ही आधार मानना चाहिए.

22. संदर्भित मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश, जारी की गई तारीख के बाद प्रभावी होंगे, जब तक कि विशेष तौर पर अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया है. पुराने मामलों को निपटाने के लिए उस समय लागू अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ; और

23. इस विषय पर यदि किसी परिपत्र को अधिक्रमित न किया गया हो, और इस समेकित परिपत्र को तैयार किए जाने में छूट गया हो तो उक्त परिपत्र अनजाने में छूट गया है, इसलिए उसे वैध और लागू माना जाए. इस संबंध में सूचना बोर्ड को भेजी जाए.

24. रेलवे बोर्ड के जिन पत्रों के आधार पर यह समेकित परिपत्र बनाया गया है वे नीचे दिए गए हैं :-

(i) दिनांक 29.8.63 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 61/टी आर 1/42
(ii) दिनांक 16.10.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)75(33)
(iii) दिनांक 12.9.81 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 80(33)
(iv) दिनांक 23.7.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 73 (33)
(v) दिनांक 12.7.82 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 82(33)
(vi) दिनांक 8.2.68 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)1-67/टी आर-1/15
(vii) दिनांक 3.7.73 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)72(33)
(viii) दिनांक 5.5.84 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)84(33)/9
(ix) दिनांक 3.8.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)75(33)
(x) दिनांक 24.6.88 का पत्र सं. ई (एन जी)II/87/आर सी-2/25
(xi) दिनांक 14.6.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)95/6/8
(xii) दिनांक 26.7.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)93/6/2
(xiii) दिनांक 21.8.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)95/6/13
(xiv) दिनांक 29.11.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7
(xv) दिनांक 16.2.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)91/6/11
(xvi) दिनांक 20.3.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)96/6/3
(xvii) दिनांक 29.3.96 का पत्र सं. ई (एन जी)II/96/आरआर-1/13
(xviii) दिनांक 26.8.98 का पत्र सं. ई (एन जी)II/96/आरआर-1/34
(xix) दिनांक 16.9.96 का पत्र सं. ई (एन जी)II/96/आरआर-1/34
(xx) दिनांक 3.12.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)96/6/14
(xxi) दिनांक 15.5.97 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7/भाग2
(xxii) दिनांक 2.4. 98 का पत्र सं. ई (एम पी पी)97/6/7
(xxiii) दिनांक 18.5.98 का पत्र सं. ई (एम पी पी)97/6/7
(xxiv) दिनांक 19.8.99 का पत्र सं. ई (एन जी)II/99/एसबी/20
(xxv) दिनांक 15.2.2000 का पत्र सं. ई (एम पी पी)97/6/7/भाग-II
(xxvi) दिनांक 6.4.2000 का पत्र सं. ई (एन जी)II/96/आरआर-1/34

(xxvii)दिनांक 18.5.2000 का पत्र सं. ई (एन पी पी)2001/6/2
(xxviii)दिनांक 12.6.2001 का पत्र सं. ई (एन पी पी) 2000/6/5
(xxix)दिनांक 11.7.2001 का पत्र सं. ई (एन पी पी) 2000/6/5

कृपया इस पत्र को पावती दें.

(आर. मुकुंदन)
का.निदेशक( प्रशिक्षण एवं ज. श. वो.)
रेलवे बोर्ड.

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)**
**MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)**
**(RAILWAY BOARD)**
*****

**RBE No. 120 /2015**

No. E(MPP)/2009/6/14 New Delhi dated: 06.10.2015

The General Managers
All Indian Railways
Including Production Units

**Sub: - System improvement regarding selection of Apprentices for training under the Apprentices Act, 1961**

Apprenticeship training programme in the industry was made statutory with the enactment of the Apprentices Act, 1961. The Apprentices Act, 1961 has the following objectives:-

(i) To regulate the programme of training of apprentices in the industry so as to conform to the prescribed syllabi, period of training etc prescribed by the Central Apprenticeship Council; and

(ii) To utilize fully the facilities available in the industry for imparting practical training with a view to meeting the requirements of skilled workers in the industries.

**As per the Act, it is not obligatory on the part of the Railways to offer any employment to the Apprentices on completion of their Apprenticeship training. Accordingly, the Act Apprentices imparted training in Railway establishments, will have no claim to seek employment on Railways on the basis of such training.**

2. Guidelines such as the number of apprentices to be engaged, schedule of engagement, age, etc have been elaborated in the Master Circular issued vide Board's letter No. E(MPP)/2001/6/7 dated 22.07.2002 and as amended from time to time.

3. On review of the entire system including procedure for engagement for imparting training, certain inconsistencies have been noticed, which has also drawn the attention of the Vigilance Directorate. In view of the above and as a system improvement measure, guidelines as detailed hereunder at Para 4 (A to G) are being issued, for guidance. Zonal Railway administration may keep these in view while deciding the procedure on their jurisdiction.

4. **A. Selection of Units:**

(i) The provisions of the Apprentices Act 1961 apply on the Railways to various units like Workshops, Production Units, Loco Sheds, Carriage and Wagon Depots and Electrification Projects and the number of apprentices to be engaged for training are decided through joint survey with RDAT and keeping in view the provisions of the Act.

(ii) Instructions detailing the names of the Railway Establishments and the actual number of training slots (as decided through a joint survey with RDAT officials) have been issued vide RBE No 85/2012 dated 30/7/2012 and subsequently, on the basis of the joint survey reports, the slots of various railway establishments have been revised vide Board's letter No.E(MPP)97/6/7/Vol.IV dated 15.2.2013, 07.06.2013, 01.08.2013, 30.10.2013 & 17.7.2014.

(iii) The general philosophy would be decentralized notification by the Unit concerned, where Act Apprentices are to be engaged for training. However, General Managers of the Zonal Railways, Production Units and RE may decide if it is necessary to club various units for the purpose of selection of apprentices for training, and if so, the specific Units to be clubbed for this purpose. Where certain Units are clubbed, General Managers would also decide the nodal unit, which would issue notification on behalf of all clubbed units.

(iv) Wherever, General Managers decide on centralized notification as opposed to decentralized notification suggested herein, guidelines for such Zonal Railways/PU's shall be as under:

a. A Centralized Notification for all the Units in the Railway may be issued. A JA/SG Grade officer of Personnel Department may be nominated by the CPO of the Railway to coordinate and monitor the work of issuing this notification. Indents from each Unit for the vacant slots to be notified trade wise/category wise will reach the nominated Dy.CPO in HQs at least one month in advance to facilitate timely issue of notification. The notification should clearly mention the last date of application, probable date of display of list of selected candidates and tentative date of commencement of training. Railways can call the applications online also. In case applications are called online, the procedure detailed below in Para B (v) and (vi) be followed.

**b.** The notification should be sent to the CPRO of the Railway 10 days in advance for publishing in the local dailies of the region where the respective Railway training establishment is located. **All the selection procedures mentioned below for decentralized notification, will also hold good, for centralized notification as well, with necessary modification for centralized notification.**

**B. Selection Procedure for Decentralised Notification:**

As per the guidelines below for selecting Act Apprentices for training, notification is to be issued by each of the concerned Units individually where Act Apprentices are to be engaged for training and all the procedures for selecting Act Apprentices for training will continue to be handled by the units concerned in a decentralized manner.

(i) A JA/SG Grade officer of Personnel Department may be nominated by the CPO of the Railway to monitor the issuing of notifications and to ensure that all Units where Act Apprentices are to be engaged for training, issue their notifications timely. All individual notifications trade wise/category wise of individual units will be vetted by this nominated officer. A report giving compliance of issue of full notification by all the concerned Units in the Zonal Railway, Production Unit, RE where Act Apprentices are to be engaged for training, should be put up to General Manager for his information.

(ii) The notification should clearly mention the last date of application, probable date of display of list of selected candidates and tentative date of commencement of training.

(iii)The notification should be published in the local daily where the concerned Unit is located, where Act Apprentices are to be engaged for training. In addition, copy of the notification should be sent to local employment exchanges, SC/ST Associations of the Railway, controlling Board's office of ITI's and the recognized Railway trade unions for giving wide publicity and also for information to the prospective candidates. The applications from wards of Railway employees may be forwarded by the authorities prescribed by the Railway Administration.

(iv) Receipt of applications will be done at one centralized place in each of the Units, where the Apprentices are to be engaged for being imparted training. Addresses of these Units in full along with pincode should be mentioned in the notification. A postal order/Demand Draft of Rs 100/- as processing fee which is not refundable is to be enclosed with the application form. No fee is required to be paid by SC/ST/PH/women candidates.

(v) Individual Units can call the applications online also. In case applications are called online, processing fee of Rs 100/- has to be paid online by the applicant using internet banking or debit / credit cards or can be paid through challan in any branch of SBI or computerized Post Office Pay-in-Slip. Applicable service charges will also have to be borne by the applicants.

(vi) If the payment of the fee is made through a challan at SBI branch or computerized Post Office Pay-in-slip (Service Charges apply), the receipt of the same should be preserved by the candidates. The same would be called for verification at the time of Document Verification. Applications not accompanied with processing fee, wherever required, will be summarily rejected.

(vii) Applications will either be received in sealed drop boxes kept at a suitable centralized location in the Unit concerned or by registered post or online as the case may be. **The period for receiving applications will not be more than one month from the date of notification and should not to be extended by the Railway/PU/Unit concerned**.

(viii) After all the applications are received and collated at one place, they shall be opened in presence of a three member Assistant Scale Officers Selection committee, one of whom should be a Personnel Officer. The Committee will be nominated by the Head of the Workshop/Division/PU. One member of the Selection Committee should belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(ix) All applications received in the box shall be opened, serially numbered, stamped and the list should be signed by all the Committee members on all pages of the list.

(x) Applications received by registered post will also be placed before this Committee to be duly opened, serially numbered, stamped and the list signed by all the Committee members. Where the Railway or the training unit decides to receive applications on on-line basis also, the above procedure in part or in full can be dispensed basing upon the need. However Railways would be required to devise suitable guidelines, for receipt of applications, online, with the approval of General Manager.

(xi) Scrutiny of applications will be done by the said committee along with assisting staff nominated for the same.

(xii) Zonal Railways/ Production Unit have the option to prescribe one of the two educational qualifications listed below for candidates applying against the notification for the purpose of selection of Act Apprentices for training. However once the Railways/Unit decides on one of the options regarding educational qualification the same shall be applied uniformly for all applicants applying against the particular notification. In other words both the options regarding minimum educational qualification shall not be permitted in a Railway or Production Unit. **Option number one** would be to consider the candidature of the candidates on the basis of matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks]. **Option number two** would be to consider the candidature of the candidates by taking average of matriculation (with minimum 50% (aggregate) marks) plus ITI marks. **It is reiterated that Railways, PUs may decide one of the two options listed above before notification is issued and the same would stand uniformly adopted in their Railway/Production Units for selection of Act Apprentices against this notification.**

(xiii) The selection of Act Apprentices by the Unit is to be made on the basis of merit list prepared in respect of all the candidates who apply against the notification. The merit list is to be made on the basis of marks obtained by the candidates either in matriculation alone or in matriculation and ITI combined, as the case may be as decided by the Zonal Railway/PU. Therefore, on a given Railway, merit list may be prepared either on the basis of %age of marks in matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] or merit list would be prepared taking the average of the %age marks obtained by the candidates in both matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] and ITI examination giving equal weightage to both. In case of two candidates having the same marks, the candidate having older age shall be preferred. In case the dates of birth are also same, then the candidate who passed matriculation exam earlier shall be considered first.

(xiv)A merit list will be prepared by the Committee who will then place the result before the Head of Workshop/Unit/Division for approval. The result should be declared within 15 days of the closure of receipt of application. Call letters for scrutiny of documents will be issued to 1.5 times the identified slots. Railways or Units can prepare computerized merit list also.

(xv) The panel of selected candidates shall be published and exhibited on the Notice Boards outside the Unit where training is to be imparted under this scheme, other Railway Offices situated in the area of selection, the concerned Workshops/Divisions, Zonal Railway HQ/PU and individual advise should also be issued to the selected candidates. The Railways could also display online, the list of selected candidates, on their Zonal Railway official website.

(xvi) Certificate/Document verification/scrutiny is to be completed within one month of declaration of result.

(xvii) In the event of any slot not being filled up due to non-turning up of selected candidates in the first list or a candidate being declared medically unfit etc., the vacant slot shall be filled from the merit list strictly in the order of merit. Due process should be followed before cancelling the candidature of non turned up candidates. Waiting list stands cancelled after one month from the date of commencement of training.

**C.** If it is noticed by the Railway Administration that an applicant has furnished wrong information/fake certificates, the Railway Administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice even after his selection to undergo training.

**D. Reservation while selecting Act Apprentices for training:**

Reservation and age relaxation for various categories/communities shall be as per the Government of India Rules for the purpose and as revised by the Railway Board from time to time.

**E. Qualification:**
The Candidate should have already passed the prescribed qualification on the date of issue of notification.

**F. Physical Fitness:**
A person shall be eligible for being trained under the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeships Rules-1992 as amended from time to time, if he or she satisfies the minimum standards of physical fitness as prescribed in the aforesaid Act and Rules and the standards prescribed for imparting training to the relevant trades which will be certified by a Railway Doctor.

**G. Age for Engagement of Act Apprentices for training on Railway:**
Candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 24 years as on the cut-off date for receiving application. Age relaxation for various categories/communities shall be applicable as per rules as amended from time to time.

It is desired that the selection of candidate for training purpose under the Apprentices Act 1961 as brought out in the aforesaid paras should invariably be followed in the Railways/PUs for batches notified after the issue of this letter.

Please acknowledge receipt.

06/10/15

(**Anuradha Singh**)
Director (TRG. & MPP)
Railway Board

No. E(MPP)2009/6/14

New Delhi, dated 06.10.2015

**Copy to:**

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No, 256-D Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3, Basant Lane Railway Colony, New Delhi (15 copies) & All India OBC Railway Employees Federation, Room No.48, Rail Bhawan.

06.10.15

For Secretary/Railway Board

No. E(MPP)2009/6/14 New Delhi, dated 06.10.2015

**Copy to:**

**PS** & ED(PG) to MR, MOS(R)

**PSO/ Sr.PPS** to CRB, FC, ML, MM, MS, ME, MT, DG(RHS), DG(RPF),

**Sr.PPS/PPS/PS** to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).

ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(Works), ED(Works Planning).

Chief Commissioner of Railway Safety Lucknow.

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III , E(SCT)I, E(SCT)II Branches of Railway Board.

**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**
**(रेलवे बोर्ड)**
****

आरबीई सं.120/2015
सं. ई(एमपीपी)2009/6/14 नई दिल्ली,06.10.2015

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

**विषय : अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए अप्रेंटिसों के चयन प्रणाली के संबंध में सुधार हेतु।**

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 का अधिनियम बनाकर उद्योग में अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम को सांविधिक रूप दिया गया था। अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) केन्द्रीय अप्रेन्टिसशिप काउन्सिल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि आदि के अनुसार उद्योग में अप्रेन्टिसों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विनियमित करना; और

(ii) उद्योगों में कुशल कामगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी उपलब्ध सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग करना।

**इस अधिनियम के अनुसार, अप्रेन्टिसों की अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें कोई रोजगार देना रेलवे की बाध्यता नहीं है। तदनुसार, रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।**

2. नियुक्त किए जाने वाले अप्रेन्टिसों की संख्या, नियुक्ति का कार्यक्रम, आयु, आदि संबंधित दिशा-निर्देश बोर्ड के दिनांक 22.07.2002 के पत्र सं. ई(एमपीपी)/2001/6/7 के तहत जारी और समय-समय पर यथा संशोधित मुख्य परिपत्र में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

3. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया सहित संपूर्ण प्रणाली की समीक्षा करने पर कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिनकी ओर सतर्कता निदेशालय का भी ध्यान गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और प्रणाली में सुधार के उपाय के रूप में, मार्गदर्शन हेतु पैरा 4 (क से छ) में दिए गए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय

रेल प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार में प्रक्रिया का निर्धारण करते समय इन्हें ध्यान में रखें।

**4. क. यूनिट का चयन:**

(i) अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के प्रावधान रेलवे की विभिन्न इकाइयों जैसे वर्कशॉप, उत्पादन इकाइयों, लोको शेड्स, कैरेज एवं वैगन डिपो और विद्युतीकरण परियोजनाओं पर लागू होते हैं और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जाने वाले अप्रेन्टिसों की संख्या आरडीएटी के साथ संयुक्त सर्वेक्षण और इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

(ii) रेल संगठनों के नाम और प्रशिक्षण स्लॉट की वास्तविक संख्या संबंधी अनुदेश (आरडीएटी अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से यथा निर्धारित) दिनांक 30/7/2012 के आरबीई सं. 85/2012 और उसके उपरांत दिनांक 15.2.2013, 07.06.2013, 01.08.2013, 30.10.2013 और 17.7.2014 के बोर्ड के पत्र सं. ई(एमपीपी)97/6/7/वॉल्यूम IV के तहत जारी किए गए हैं।

(iii) जहां प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिसों को नियुक्त करना हो, वहां सामान्यत: संबंधित इकाई द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिसूचना जारी की जाएगी। परन्तु, यदि प्रशिक्षण के लिए अप्रेन्टिसों के चयन के उद्देश्य से विभिन्न इकाइयों को एक साथ क्लब (इकट्ठा) करने की आवश्यकता हो तो क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों और रेल विद्युतिकरण के महाप्रबंधक इस संबंध में निर्णय कर सकते हैं और यदि ऐसा किया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट इकाइयों को क्लब किया जाए। जहां कुछ इकाइयों को क्लब किया जाता है वहां महाप्रबंधक उस नोडल इकाई भी निर्धारण करेंगे जो क्लब की गई सभी इकाइयों की ओर से अधिसूचना जारी करेगी।

(iv) इसके अंतर्गत प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत अधिसूचना के विपरीत जहां कहीं महाप्रबंधक केन्द्रीयकृत अधिसूचना का निर्णय करते हैं, ऐसे क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के लिए दिशा-निर्देश निम्नानुसार होंगे:

(क.) रेलवे में सभी इकाइयों के लिए एक केन्द्रीकृत अधिसूचना जारी की जाए। इस अधिसूचना को जारी करने के कार्य में सहयोग करने और निगरानी करने के लिए रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग के किसी कनिष्ठ प्रशासी/प्रवरण ग्रेड का अधिकारी नामित किया जाए। अधिसूचित किए जाने वाले खाली स्लॉट के लिए प्रत्येक इकाई से ट्रेडवार/कोटिवार मांग-सूची कम-से-कम एक माह पहले मुख्यालय में नामित उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के पास पहुँच जाए ताकि समय पर अधिसूचना जारी की जा सके। अधिसूचना में आवेदन की अंतिम तारीख, चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करने की संभावित तारीख और प्रशिक्षण आरंभ होने की अनंतिम तारीख के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। रेलें आवेदन-पत्र ऑनलाइन भी आमंत्रित कर सकती हैं। यदि आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं तो नीचे पैरा ख (v) और (vi) में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

ख. अधिसूचना रेलवे के सीपीआरओ को 10 दिन पहले भेजी जानी चाहिए ताकि उसे उस क्षेत्र के स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाया जा सके जहां संबंधित रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। **विकेन्द्रीकृत अधिसूचना के लिए नीचे उल्लिखित सभी चयन प्रक्रियाएं केन्द्रीयकृत अधिसूचना के लिए आवश्यक संशोधन करके केन्द्रीयकृत अधिसूचना के लिए भी लागू होंगी।**

**ख. विकेन्द्रीकृत अधिसूचना के लिए चयन प्रक्रिया:**

प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिसों के चयन संबंधी नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन प्रत्येक संबंधित इकाइयों द्वारा अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी, जहां एक्ट अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाना है और प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिसों के चयन की सभी प्रक्रियाएं विकेन्द्रीकृत विधि से संबंधित इकाई द्वारा संचालित की जाती रहेंगी।

(i) इस अधिसूचना को जारी करने से संबंधित कार्य की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सभी इकाइयां जहां प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिसों की नियुक्ति की जानी है, अपनी अधिसूचनाएं समय पर जारी करती हैं, रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग के किसी कनिष्ठ प्रशासी/प्रवरण ग्रेड का अधिकारी नामित किया जाएगा। प्रत्येक इकाई की सभी ट्रेडवार/कोटिवार अधिसूचनाओं की विधीक्षा इस नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी। क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाई, रेल विद्युतीकरण में उन सभी संबंधित इकाइयों जहां एक्ट अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाना है, द्वारा पूर्ण अधिसूचना जारी होने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट महाप्रबंधक के सूचनार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ii) अधिसूचना में आवेदन की अंतिम तारीख, चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करने की संभावित तारीख और प्रशिक्षण आरंभ होने की अनंतिम तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

(iii) अधिसूचना स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए जहां एक्ट अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त की जाने वाली संबंधित इकाई स्थित है। इसके अलावा, व्यापक प्रचार और प्रत्याशित उम्मीदवारों की सूचना के लिए अधिसूचना की प्रतिलिपि रोजगार कार्यालयों, रेलवे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों, आईटीआई के नियंत्रक बोर्ड कार्यालय और रेलवे के मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों को भी भेजी जानी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों के आवेदन-पत्र रेल प्रशासन के निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा अग्रेषित किया जाए।

(iv) प्रत्येक इकाई, जहां प्रशिक्षण देने के लिए अप्रेन्टिसों को नियुक्त किया जाना है, में किसी केन्द्रीकृत स्थान पर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अधिसूचना में इन इकाइयों के पिन कोड के साथ पूरा पता लिखा होना चाहिए। आवेदन-पत्र के साथ प्रोसेसिंग

फीस के रूप में ₹ 100/- का पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

(v) अलग-अलग इकाई आवेदन-पत्र ऑनलाइन भी आमंत्रित कर सकती हैं। यदि आवेदन-पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं तो ₹ 100/- की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑन लाइन किया जा सकता है या भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में चालान के माध्यम से या कम्प्यूटरीकृत डाक कार्यालय के पे-इन-स्लीप के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। लागू सेवा प्रभार का वहन भी आवेदकों द्वारा किया जाएगा।

(vi) यदि शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक शाखा के चालान या कम्प्यूटरीकृत डाक कार्यालय के पे-इन-स्लीप (सेवा प्रभार लागू) के माध्यम से किया जाता है तो उसकी रसीद सदस्यों द्वारा सुरक्षित रखी जानी चाहिए। उसे कागजातों के सत्यापन के समय मांगा जाएगा। जिस आवेदन के साथ प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा, उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(vii) आवेदन-पत्र या तो संबंधित इकाई में किसी उपयुक्त केन्द्रीकृत स्थान पर मोहरबन्द ड्रॉप बॉक्स में या तो पंजीकृत डाक से अथवा ऑनलाइन, जैसा भी मामला हो, प्राप्त की जाएंगी। **आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अवधि अधिसूचना की तारीख से एक माह से अधिक नहीं होगी और उसे संबंधित रेलवे/उत्पादन इकाई/इकाई द्वारा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।**

(viii) सभी आवेदन-पत्र प्राप्त होने और एक स्थान पर क्रमवार लगाने के बाद, उन्हें तीन सदस्यीय सहायक वेतनमान के अधिकारियों की एक प्रवरण समिति, जिसमें से एक सदस्य कार्मिक अधिकारी होना चाहिए, के समक्ष खोला जाएगा। वर्कशॉप/मंडल/उत्पादन इकाई के प्रमुख द्वारा समिति नामित की जाएगी। प्रवरण समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।

(ix) बॉक्स में प्राप्त सभी आवेदनों को खोला जाएगा, क्रमवार संख्या दी जाएगी, मोहर लगायी जाएगा और सूची के सभी पृष्ठों पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(x) पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों को भी विधिवत रूप से इस समिति के समक्ष खोले जाने, उन पर क्रम संख्या लिखने, मोहर लगाने और समिति के सभी सदस्यों द्वारा सूची पर हस्ताक्षर करने के लिए रखें जाएंगे। जहां रेलवे या प्रशिक्षण इकाई आवेदन-पत्र ऑनलाइन भी प्राप्त करने का निर्णय लेती हैं, वहां उपर्युक्त प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आवश्यकता के आधार पर अपनाई जा सकती है।

बहरहाल, रेलवे को महाप्रबंधक के अनुमोदन से ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे।

(xi) आवेदन-पत्रों की जांच लिए उपर्युक्त समिति द्वारा इस आशय के लिए नामित सहायक कर्मचारियों के साथ मिलकर की जाएगी।

(xii) क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाईयों के पास यह विकल्प है कि वह प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिसों के चयन की अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए नीचे दी गई सूची में दो में से एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करे। बहरहाल, एक बार रेलवे/इकाई द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में एक विकल्प का निर्णय ले लिया जाता है तो वही उस विशेष अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एकसमान रूप से लागू की जाएगी। दूसरे शब्दों में, किसी भी रेलवे या उत्पादन इकाई में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दोनों विकल्पों की अनुमति नहीं दी जाएगी। **विकल्प संख्या एक** मैट्रिकुलेशन परीक्षा के आधार (न्यूनतम 50% (कुल) पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करना होगा। **विकल्प संख्या दो** मैट्रिकुलेशन परीक्षा (न्यूनतम 50% (कुल जोड़) अंकों के साथ) और आईटीआई में प्राप्त अंकों का औसत लेते हुए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करना होगा। **यह पुन: दोहराया जाता है कि रेलें, उत्पादन इकाइयां अधिसूचना जारी होने से पूर्व ऊपर सूचीबद्ध किए गए दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के संबंध में निर्णय लें और उसी विकल्प को इस अधिसूचना के तहत एक्ट अप्रेन्टिसों का चयन करने के लिए उनके रेलवे/उत्पादन इकाइयों में एकसमान रूप से अपनाया जाएगा।**

(xiii) यूनिट द्वारा एक्ट अप्रेन्टिस का चयन इस आशय के लिए जारी अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की तैयार की गई मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों द्वारा या तो केवल मैट्रिक परीक्षा में अथवा मैट्रिक और आईटीआई में संयुक्त रूप से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर जैसा भी मामला हो, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अत: किसी रेलवे में मेधा सूची या तो मैट्रिक में प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों सहित] के आधार पर तैयार की जाएगी अथवा मेधा सूची आवेदक द्वारा मैट्रिक [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों सहित] और आईटीआई दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के अनुपात के आधार पर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। दो उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि जन्म की तारीख भी समान हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो, पर पहले विचार किया जाएगा।

(xiv) समिति द्वारा मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो फिर इस परिणाम को वर्कशॉप/इकाई/मंडल के प्रधान के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। आवेदन

प्राप्त करने की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाना चाहिए। दस्तावेजों की जांच के लिए बुलावा पत्र, निर्धारित स्लॉट के 1.5 गुना तक जारी किए जाएंगे। रेलवे अथवा इकाइयां कम्प्यूटरीकृत मेधा सूची भी तैयार कर सकती हैं।

(xv) चयन किए गए उम्मीदवारों के पैनल को प्रकाशित किया जाएगा और इस स्कीम के तहत जहां प्रशिक्षण दिया जाना है उस इकाई के बाहर लगे नोटिस बोर्ड, चयन के क्षेत्र में स्थित अन्य रेल कार्यालयों में, संबंधित वर्कशॉप/मंडल, क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय/उत्पादन इकाई में इसे प्रदर्शित किया जाएगा और चयन किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से भी इसकी सूचना दी जाएगी। रेलें, चयन किए गए उम्मीदवारों की सूची क्षेत्रीय रेलों की अधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन पर प्रदर्शित कर सकती हैं।

(xvi) परिणाम घोषित किए जाने के एक माह के भीतर ही प्रमाण-पत्र/दस्तावेज़ों का सत्यापन/जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

(xvii) प्रथम सूची में चयन किए गए उम्मीदवारों में से किसी के न आने अथवा उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए जाने आदि के कारण किसी स्लॉट के रिक्त रह जाने के मामले में, रिक्त स्लॉट को मेधा के क्रम के अनुसार सिर्फ मेधा सूची से ही भरा जाएगा। किसी उम्मीदवार के न आने के मामले में उसकी उम्मीदवारी को निरस्त करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तारीख से एक माह के बाद प्रतीक्षा सूची निरस्त हो जाएगी।

(ग) यदि रेल प्रशासन द्वारा यह नोटिस किया जाता है कि किसी एक आवेदक द्वारा गलत सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो रेल प्रशासन के पास ऐसे उम्मीदवार/चयन किए गए उम्मीदवार को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके चयन के पश्चात् भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकने का अधिकार है।

(घ) **प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिसों का चयन करते समय आरक्षण:**

विभिन्न कोटियों/समुदायों के लिए आरक्षण और आयु सीमा में छूट इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार और समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित किए गए अनुसार होगी।

(ङ) **अर्हता:**

अधिसूचना जारी होने की तारीख को उम्मीदवार के पास निर्धारित अर्हता पहले से होनी चाहिए।

**(घ) शारीरिक योग्यता**

समय-समय पर यथा संशोधित अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 और अप्रेन्टिसशिप नियम-1992 के तहत वही व्यक्ति प्रशिक्षण पर जाने के लिए पात्र होगा, जो उपर्युक्त एक्ट और नियमों में यथा निर्धारित शारीरिक योग्यता के न्यूनतम मानकों तथा संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए निर्धारित मानकों, जिन्हें एक रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, को पूरा करता/करती है।

**(छ) रेलों में प्रशिक्षण के लिए एक्ट अप्रेन्टिस की नियुक्ति के लिए आयु**

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और उसने 24 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए। समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार कतिपय कोटियों/समुदायों के लिए आयु में छूट लागू रहेगी।

यह वांछा की जाती है कि अप्रैन्टिसिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, का इस पत्र के जारी होने के बाद अधिसूचित बैचों के लिए रेलों/उत्पादन इकाइयों पर निरपवाद रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

कृपया पावती दें।

अनुराधा 06/10/15

**(अनुराधा सिंह)**
निदेशक (प्रशिक्षण एवं एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)/2009/6/14 नई दिल्ली, दिनांक 06 .10.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
7. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कालोनी, नई दिल्ली (15 प्रतियां) एवं ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्पलाइज़ फेडरेशन, कमरा नं. 48, रेल भवन।

नवीन 06.10.15
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड